LATEST

NEWS

Election

Date : 28th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

FIRST INDIA
28 December 2025

SIR: Over 10.56 lakh voter names deleted in Assam

First India Bureau
Guwahati

> **Voters can file claims and objections till January 22, and the final electoral rolls will be published on February 10, EC said**

The ECI on Saturday released the draft electoral rolls and mentioned that over 10.56 lakh names have been deleted from the voter list after the Special Revision of electoral rolls in Assam, where polls would be in less than six months.

According to the integrated draft rolls released by the Election Commission on Saturday, state has a total of 2,51,09,754 voters, excluding 93,021 D-Voters or doubtful voters. Additionally, the names of 10,56,291 voters have been deleted due to death, shifting, or multiple entries.

D-Voters are a category of voters in Assam who have been disenfranchised by the government on account of their alleged lack of proper citizenship credentials.

Jhotwara BLO suspended for negligence in SIR duties

Jaipur: The district election office of Jaipur Saturday suspended booth level officer (BLO) Pushpendra Singh of the city's Jhotwara constituency for gross negligence in his duties during Special Intensive Revision (SIR) process.

The suspension order was issued by LN Bunker, electoral registration officer (ERO) of the Jhotwara constituency, after Singh, a senior teacher with a govt school in Giridharipura, did not report for duty for SIR work despite repeated directions from the district election office. "The district election office has issued repeated show-cause notices against the BLO. This has disrupted the SIR process of his booth significantly. Finally, Saturday we suspended him with immediate effect."

In a separate incident Friday, Shyama Rathore, ERO of Jaipur's Adarsh Nagar constituency, suspended another BLO, Kamal Chand Dabodia, for negligence in SIR duties. Dabodia is a junior assistant at Jaipur Municipal Corporation (Headquarters). TNN

बीएलओ ड्यूटी जॉइन नहीं करने पर वरिष्ठ अध्यापक निलंबित

जयपुर @ पत्रिका. निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में झोटवाड़ा क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की ड्यूटी जॉइन नहीं करने पर एक वरिष्ठ अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

झोटवाड़ा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी डॉ. एल.एन. बुनकर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधारीपुरा में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह को बीएलओ नियुक्त किया गया था और कार्यग्रहण के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद संबंधित कार्मिक ने ड्यूटी जॉइन नहीं की।

उन्होंने बताया कि अनुपस्थिति को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर पुनः कार्यग्रहण के निर्देश दिए गए। कई बार दूरभाष पर निर्देश देने के बावजूद कार्मिक ने गंभीर लापरवाही बरती। डॉ. बुनकर के अनुसार, बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 28 Dec 2025 - Page 5

काम में लापरवाही: कार्य ग्रहण नहीं करने वाले बीएलओ निलंबित

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी झोटवाड़ा ने जारी किए आदेश

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत झोटवाड़ा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी डॉ. एलएन बुनकर ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी डॉ. बुनकर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधारीपुरा में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त कर कार्यग्रहण के लिए आदेशित किया गया था। उक्त कार्मिक द्वारा उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पुनः कार्यग्रहण के लिए आदेशित किया गया और चुनाव लिपिक संबंधित सुपरवाइजर एवं ईआरओ ने कई बार-बार दूरभाष पर निर्देश देने के बाद भी कार्मिकों की ओर से चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। उन्होंने बताया वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 13 सी सी की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

असम में 10.56 लाख वोटर्स के नाम कटे

गुवाहाटी, 27 दिसम्बर। विधानसभा चुनाव से पहले असम में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिवीजन) के बाद राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया में 10 लाख 56 हजार 291 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद त्रुटिरहित और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि आने वाले चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकें।

चुनाव आयोग की ओर से जारी एकीकृत ड्राफ्ट सूची के अनुसार, असम

- चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की।

में अब कुल 2 करोड़ 51 लाख 9 हजार 754 पंजीकृत मतदाता हैं। इस आंकड़े में 93 हजार 21 डी-वोटर शामिल नहीं हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नामों को हटाया गया है, वे मृत्यु, स्थानांतरण या डुप्लीकेट प्रविष्टियों के कारण सूची में बने हुए थे। इन्हें हटाकर मतदाता सूची को साफ किया गया है।

विशेष पुनरीक्षण के दौरान, कुल 10,56,291 नाम हटाए गए। इनमें से 4,78,992 नाम ऐसे थे, जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं, 5,23,680 मतदाता अपने पंजीकृत पते से दूसरी जगह स्थानांतरित पाए गए। इसके अलावा 53,619 ऐसे नाम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सामने आए, जिनमें जनसांख्यिकीय समानता पाई गई और उन्हें सुधार के लिए चिन्हित किया गया। आयोग के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया घर-घर जाकर सत्यापन के जरिए की गई।

जैतसर में निर्वाचन विभाग ने 107 मतदाताओं को नोटिस दिया

जैतसर| एसआईआर अभियान का कार्य पूर्ण होने के बाद अब निर्वाचन विभाग द्वारा कुछ मतदाताओं को एसआईआर में नाम शामिल न होने के बाद नोटिस जारी किए हैं। इन मतदाताओं द्वारा निर्वाचन विभाग द्वारा मांगे गए पहचान के सबूत उपलब्ध करवाने पर इनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अगर नोटिस प्राप्त मतदाताओं ने आवश्यक कागजात नहीं दिए तो इन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं रहेगा।

जानकारी के अनुसार सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सूरतगढ़ ने कस्बे में 117 मतदाताओं को इस तरह के नोटिस जारी किए हैं। भाग संख्या 83 में 20, 84 में 29, 85 में 12, 86 में 31 व भाग संख्या 87 में 15 मतदाताओं को इसी तरह के नोटिस जारी किए हैं। इन भाग संख्या में कार्यरत बीएलओ चेतन प्रकाश, कांता, रोहतास यादव, अशोक कुमार व अतुल सारस्वत ने संबंधित मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। नोटिस के पिछले पृष्ठ पर लिखे 13 आवश्यक कागजात में से कोई भी कागजात लेकर 1 जनवरी को सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष पेश होना होगा। इससे पूर्व भी कस्बे में एसआईआर अभियान के दौरान 436 मृत, स्थानांतरित मतदाताओं के वोट काटे गए थे। 117 नोटिस प्राप्त मतदाताओं ने अगर आवश्यक व पर्याप्त कागजात उपलब्ध नहीं करवाएं तो इनके वोट भी निर्वाचन विभाग द्वारा हटा दिए जाएंगे।

दैनिक भास्कर डूंगरपुर भास्कर 28-12-2025

एसआईआर प्रारूप सूची की जानकारी अब एसएमएस से

भास्कर न्यूज | डूंगरपुर

निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रारूप की अंतिम सूची में नाम होने या नहीं होने की जानकारी पता करने के लिए एसएमएस सुविधा शुरू की है।

इसके लिए मतदाता को अपने मोबाइल से 1950 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके लिए ECI (स्पेश देकर) मतदाता पहचान पत्र नंबर लिखकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1950 पर मैसेज भेजना होगा।

सरदारपुरा में सबसे बड़ा असर : 3 सीटों से कटे 1.51 लाख नाम, दलों ने शुरू किया बूथ-स्तरीय सत्यापन

एसआइआर : कई सीट पर जीत के अंतर से 5 गुना ज्यादा कटे वोटर, राजनीति में उबाल

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत जोधपुर जिले में मतदाता सूची से कटे नामों के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जिले की कई विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या, पिछले दो विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की हार-जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। जीत-हार के अंतर से तुलना की जाए तो इससे पांच गुना तक नाम कटे हैं। सबसे ज्यादा असर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा विधानसभा सीट पर देखने को मिला है। इसके बाद सूरसागर और फिर जोधपुर शहर विधानसभा सीट का नंबर आता है।

जिले में 2.57 लाख से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म नहीं हुए जमा

जिलेभर में कुल 2 लाख 57 हजार 831 मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए। इनमें 44 हजार 66 मतदाता मृत पाए गए, जबकि 1 लाख 44 हजार 548 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अलावा 38 हजार 103 मतदाता पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले। एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 30 हजार 64 रही, जबकि 1 हजार 50 मतदाता अन्य श्रेणी में आए। इनमें से अकेले जोधपुर की तीन विधानसभा सीटों सरदारपुरा, सूरसागर और जोधपुर शहर से ही 1 लाख 51 हजार 897 नाम कट गए।

उन सीटों का विश्लेषण, जहां एसआइआर में कटे ज्यादा नाम

विधानसभा क्षेत्र	भाजपा को मिले वोट	कांग्रेस को मिले वोट	जीत-हार का अंतर	नाम कटे
ओसियां	103746	100939	2807	13271
सरदारपुरा	70463	96859	26396	56809
जोधपुर शहर	71192	57667	13525	42653
सूरसागर	117065	78306	38759	52438
लूणी	123498	98820	24678	42134
बिलाड़ा	90766	80342	10424	17902

राजनीतिक दल सतर्क

इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक दल भी सतर्क हो गए हैं। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ओमकार वर्मा से बारे में बात करने पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सूची की गहनता से जांच कर रहे हैं ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट न जाए। भाजपा शहर अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि पार्टी की ओर से ड्राफ्ट सूची का बूथ स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है।

विधानसभा क्षेत्रों पर दिखा यह असर

- ओसियां में भाजपा को 1 लाख 3 हजार 746 और कांग्रेस को 1 लाख 939 वोट मिले थे, जहां जीत-हार का अंतर महज 2 हजार 807 रहा, जबकि एसआइआर में 13 हजार 271 नाम कटे।
- सरदारपुरा में भाजपा को 70 हजार 463 और कांग्रेस को 96 हजार 859 वोट मिले थे, जीत का अंतर 26 हजार 396 रहा, लेकिन यहां 56 हजार 809 नाम सूची से हट गए।
- जोधपुर शहर में 13 हजार 525 के जीत अंतर के मुकाबले 42 हजार 653 नाम कटे।
- सूरसागर में जीत-हार का अंतर 38 हजार 759 रहा, जबकि 52 हजार 438 नाम हटाए गए।
- लूणी में जीत-हार के 24 हजार 678 के अंतर के सामने 42 हजार 134 नाम कटे।
- बिलाड़ा में 10 हजार 424 के अंतर के मुकाबले 17 हजार 902 नाम कटे।

बोरुन्दा विधानसभा क्षेत्र के 334 मतदाताओं को नोटिस जारी

बोरुन्दा @ पत्रिका. बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरुन्दा में भाग संख्या 218 से 229 तक 12 भागों के बूथ लेवल अधिकारियों ने 334 मतदाताओं को नोटिस जारी किया।

बूथ लेवल अधिकारी, पर्यवेक्षक और व्याख्याता भैरुलाल पटेल ने बताया कि उप तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामलाल भांबू के निर्देशन में सभी बूथ लेवल अधिकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत बोरुन्दा क्षेत्र की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित किया। अभियान के दौरान उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए जिनका नाम 2002 की एसआइआर सूची में दर्ज नहीं है या जिन्होंने अपने पते की स्पष्ट तथा स्थाई जानकारी नहीं दी है। नोटिस प्राप्त मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 6 से 16 जनवरी 2026 तक कार्यालय समय में उप तहसीलदार रामलाल भांबू के कार्यालय में सुनवाई कराई जाएगी।